रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 400] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 21, 2010/आषाढ़ 30, 1932

No. 400] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 21, 2010/ASADHA 30, 1932

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 608(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) (चौथा संशोधन) नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची I में, क्रम संख्या 68 और इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	उद्योग	पैरामीटर	मानक
(1)	(2)	(3)	(4)
"68	कार्बनिक रसायन उत्पादक उद्योग	क-बहिस्त्राव मानक	
			सांद्रण सीमा मि.ग्रा./लीटर में, पी एच और बायोएस्से परीक्षण को छोड़कर
		अनिवार्य पैरामीटर	
		पी एच	6.5-8.5
		बी ओ डी 3 दिन, 27°C	100
		तेल एवं ग्रीस	10
		बायोएस्से टेस्ट +	100 प्रतिशत बहिस्त्राव में 96 घंटे के बाद 90 प्रतिशत मछलियां अवशेष
		अतिरिक्त पैरामीटर	
		नाईट्रेट (N के रूप में)	10
		आर्सेनिक (As के रूप में)	0.2
		क्रोमियम (हैक्सावेलेंट)	0.1
		क्रोमियम (कुल)	1.0
		सीसा (Pb के रूप में)	0.1
		साइनाईड (CN के रूप में)	0.2

(1)	(2)	(3)		(4)
		जस्ता (Zn के रूप में)	5.0	
		पारद् (Hg के रूप में)	0.01	
		तांबा (Cu के रूप में)	2.0	
		निकिल (Ni के रूप में)	2.0	
		फिनॉल्क्स (C_6H_5OH के रूप में)	5.0	
		सल्फाईड	2.0	

+ बायोएस्से परीक्षण IS:6582-1971 के अनुसार संचालित किया जाए ।

टिप्पण :

(i) इस समूह में हेलोएलिफेटिक, प्लास्टीसाईजर, ऐरोमेटिकस (एल्कॉहल, फिनॉल्स, इस्टर, तेजाब और लवण, एल्डीहाइड और किटॉन), प्रतिस्थापित ऐरोमेटिकस, एलिफेटिक (एल्कॉहल, ईस्टरस, तेजाब, एल्डीहाइड, किटॉन, अमीनस् और एमाइड्स) और डिटर्जेन्ट उद्योग सम्मिलित रहेंगे ।

(ii) यद्यपि रासायनिक आक्सीजन मांग (COD) के सन्नियम यहां उल्लिखित नहीं है, किन्तु COD को मानीटर किया जायेगा । यदि उपचारित बहिस्त्राव में COD की मात्रा 250 मि.ग्रा./लीटर से अधिक है तो उच्च COD का बहिस्त्राव करने वाली संबंधित औद्योगिक इकाईयों को ऐसे COD के लिये जिम्मेदार रसायनों की पहचान करनी होगी । यदि ये खतरनाक रसायन उत्पादन, भंडारण तथा आयात नियम, 1989 के अधीन विषैले रसायन के रूप में पाये जाते हैं तब संबंधित उद्योग तृतीय उपचार संयंत्र लगाएंगे ।

(iii) उपर्युक्त मानक, लघु श्रेणी के डिटर्जेन्ट सूत्रण इकाईयों में लागू नहीं होंगे ।

ख. भस्मीकरण संयंत्र के लिये उत्सर्जन मानक

		जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सांद्रण सीमा मि.ग्रा./ नार्मल घन मी. में	जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, सैम्पलिंग अवधि मिनटों में
विविक्त पदार्थ	50	30 अथवा अधिक (सैम्पलिंग के लिए लगभग 300 लीटर उत्सर्जन)	
HCl	50	30	
SO_2	200	30	
CO	100	दैनिक औसत	
कुल जैविक कार्बन	20	30	
कुल डायक्सीन्स एवं फयूरान्स*	मौजूदा भस्मीकरण संयंत्र	0.2 ngTEQ/Nm^3	8 घंटे
	नए भस्मीकरण संयंत्र	0.1 ngTEQ/Nm^3	8 घंटे
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn + Ni + V + Cd + Th + Hg और उनके यौगिक		1.5	2 घंटे

(1)	(2)	(3)	(4)

* विद्यमान संयंत्र द्वारा डायक्सीन्स एवं फयूरान्स के लिए 0.1 ngTEQ/Nm^3 मानदंड का अनुपालन तारीख 1 जनवरी, 2014 के भीतर करेंगे।

टिप्पण :

(i) सभी मानीटर किए गए मानों को 11% ऑक्सीजन के अनुसार शुष्क आधार पर ठीक किया जाए।

(ii) उत्सर्जित गैस में कार्बन डाईआक्साइड की सांद्रणता 7% से कम नहीं होगी।

(iii) यदि भस्मीकरण हेतु अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट वजन में 1% से कम हो तो, ट्विन चैम्बर भस्मीकरण संयंत्र में सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850 ± 25°C और सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर 950°C का न्यूनतम तापमान बनाया जा सके जिसके साथ सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं होगा।

अथवा

एकल चैम्बर भस्मीकरण संयंत्र में गैसीय संकटमय अपशिष्ट हेतु सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाईन किया जाएगा ताकि कम्बशन चैम्बर में 950°C न्यूनतम तापमान बनाया रखा जा सके जिसके साथ गैस अवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं होगा।

(iv) यदि भस्मीकरण हेतु अपशिष्ट में हेलोजिनेटिड कार्बनिक अपशिष्ट, वजन में 1% से अधिक हो तो केवल ट्विन चैम्बर भस्मीकरण संयंत्र में अपशिष्ट का भस्मीकरण किया जाएगा तथा सभी सुविधाओं को इस तरह डिजाइन किया जाएगा ताकि प्राइमरी चैम्बर में 850 ± 25°C और सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर 1100°C न्यूनतम तापमान बनाए रखा जा सके जिसके साथ सेकेण्डरी कम्बशन चैम्बर में गैस अवरोधक समय दो सेकेण्ड से कम नहीं होगा।

(v) उत्सर्जन मार्जन के लिए जो मार्जक हैं उनका उपयोग क्वेन्चर के रूप में नहीं किया जाएगा।

(vi) भस्मीकरण संयंत्रों (अर्थात् कम्बशन चैम्बर्स) को ऐसे तापमान, अवरोधन समय और उथल-पुथल के साथ चलाया जाएगा ताकि अपशिष्ट और भस्मीकरण राख में कुल कार्बनिक कार्बन (TOC) यौगिक 3% से कम हो और उनके भस्मीकरण क्षय की मात्रा का शुष्क भार 5% से कम हो। गैर-अनुपालन के मामले में यथास्थिति राख और अपशिष्ट का दुबारा भस्मीकरण किया जाएगा।

(vii) भस्मीकरण संयंत्र के लिये चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई तीस मीटर अवश्य रहेगी।

ग. भस्मीकरण संयंत्र के लिये बहिःस्राव मानक

(i) मार्जक और तल धुलाई अपजल से उत्पन्न बहिःस्राव ढकी हुई नाली या पाईप नेटवर्क के माध्यम से बहाया जाएगा और इसका शोधन ऊपर 'क' भाग में उल्लिखित बहिःस्राव मानकों के अनुरूप किया जाएगा।

(ii) तल धुलाई अपजल में कुल घुलित कणों (TDS) की मात्रा कच्चे जल में विद्यमान TDS की मात्रा के ऊपर 1000 मि.ग्रा./लीटर से अधिक नहीं होगी।

घ. वर्षा जल

(i) वर्षा जल को मार्जक जल और/अथवा तल धुलाई अपजल के साथ मिलने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) वर्षा जल को वर्षा जल के 10 मिनट (घंटे का औसत) की संग्रहण क्षमता के एचडीपीई परत वाले गड्ढे के माध्यम से अलग नाली से बहाया जाएगा।''

[फा. सं. क्यू.-15017/30/2009-सीपीडब्ल्यू]

रजनीश दुबे, संयुक्त सचिव

टिप्पण.—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सं. का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे; और तत्पश्चात् सं. का.आ. 433(अ), तारीख 18 अप्रैल, 1987; उसके पश्चात् सा.का.नि. 176(अ), तारीख 2 अप्रैल 1996 द्वारा संशोधित किए गए और अभी हाल में सा.का.नि. 97(अ), तारीख 18 फरवरी, 2009; सा.का.नि. 149(अ), तारीख 4 मार्च, 2009; सा.का.नि. 512(अ), तारीख 9 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 543(अ), तारीख 22 जुलाई, 2009; सा.का.नि. 595(अ), तारीख 21 अगस्त, 2009; सा.का.नि. 794(अ), तारीख 4 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 826(अ), तारीख 16 नवम्बर, 2009; सा.का.नि. 1(अ), तारीख 1 जनवरी, 2010; सा.का.नि. 61(अ), तारीख 5 फरवरी, 2010 और सा.का.नि. 485(अ), तारीख 9 जून, 2010 द्वारा उनका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st July, 2010

G.S.R. 608(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely :—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) (Fourth Amendment) Rules, 2010.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule-I, in serial number 68 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be substituted, namely :—

Sl. No.	Industry	Parameter	Standard
(1)	(2)	(3)	(4)
"68.	Organic Chemicals Manufacturing Industry	**A. Effluent Standards**	
			Limiting concentration in mg/1, except for pH and Bioassay test
		Compulsory parameters	
		pH	6.5-8.5
		BOD 3 days, 27°C	100
		Oil & Grease	10
		Bioassay test +	Minimum 90% survival after 96 hours in 100% effluent
		Additional parameters	
		Nitrate (as N)	10
		Arsenic (as As)	0.2
		Chromium (Hexavalent)	0.1
		Chromium Total	1.0
		Lead (as Pb)	0.1
		Cyanide (as CN)	0.2
		Zinc (as Zn)	5.0
		Mercury (as Hg)	0.01
		Copper (as Cu)	2.0
		Nickel (as Ni)	2.0
		Phenolics (as C_6H_5OH)	5.0
		Sulphide	2.0

+ The Bioassay test shall be conducted as per IS : 6582-1971.

Note :

(i) Industries covered under this group include halo aliphatics, plasticizers, aromatics (alcohols, phenols, esters, acids and salts, aldehydes and ketones), substituted aromatics, aliphatics (alcohols, esters, acids, aldehydes, ketones, amines and amides) and detergents.

(ii) Though norms for COD are not mentioned here but, COD shall be monitored. If the COD in treated effluent exceeds 250 mg/1, the concerned industrial units discharging such effluent shall be required to identify chemicals responsible for high COD in effluent. In case, these are found to be toxic as defined under the Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, the concerned industry shall install tertiary treatment system.

(iii) The above mentioned standards shall not be applicable to small scale detergent formulating units.

(1)	(2)	(3)		(4)

B. Emission Standards for Incinerator

	Limiting concentration in mg/Nm³, unless otherwise stated	Sampling Duration in minutes unless otherwise stated
Particulate Matter	50	30 or more (for sampling about 300 litres of emission)
HCl	50	30
SO_2	200	30
CO	100	daily average
Total Organic Carbon	20	30
Total Dioxins and Furans* Existing Incinerator	0.2 ngTEQ/Nm³	8 hours
New Incinerator	0.1 ngTEQ/Nm³	8 hours
Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Mn +Ni + V + Cd + Th + Hg and their compounds	1.5	2 hours

*The existing plant shall comply with norms for Dioxins and Furans as 0.1 ngTEQ/Nm³ by 1st January, 2014.

Note :

(i) All monitored values shall be corrected to 11% oxygen on dry basis.

(ii) The CO_2 concentration in tail gas shall not be less than 7%.

(iii) In case, halogenated organic waste is less than 1% by weight in input waste, all the facilities in twin chamber incinerator shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 850 ± 25°C in primary chamber and 950°C in secondary combustion chamber and with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

or

all the facilities in single chamber incinerator for gaseous hazardous waste shall be designed so as to achieve a minimum temperature of 950°C in the combustion chamber with a gas residence time not less than two seconds.

(iv) In case halogenated organic waste is more than 1% by weight in input waste, waste shall be incinerated only in twin chamber incinerators and all the facilities shall be designed to achieve a minimum temperature of 850 ± 25°C in primary chamber and 1100°C in secondary combustion chamber with a gas residence time in secondary combustion chamber not less than two seconds.

(v) Scrubber meant for scrubbing emissions shall not be used as quencher.

(vi) incineration plants shall be operated (i.e. combustion chambers) with such temperature, retention time and turbulence, as to achieve Total Organic Carbon (TOC) content in the incineration ash and residue less than 3%, and their loss on ignition is less than 5% of the dry weight. In case of non-conformity, ash and residue, as the case may be shall be re-incinerated.

(vii) The incinerator shall have a chimney of at least thirty meters height.

C. Effluent Standards for Incinerator

Note :

(i) Effluent from scrubber(s) and floor washing shall flow through closed conduit or pipe network and be treated to comply with the effluent standards mention at 'A' above.

2826 GI/10-2

(1)	(2)	(3)	(4)
		(ii)	The built up in Total Dissolved Solids (TDS) in waste water of floor washings shall not exceed 1000 mg/l over and above the TDS of raw water used.
		D. Storm water	
		Note :	
		(i)	Storm water shall not be allowed to mix with scrubber water and/or floor washings.
		(ii)	Storm water shall be channellized through separate drains passing through a HDPE lined pit having holding capacity of 10 minutes (hourly average) of rainfall.".

[F. No. Q-15017/30/2009-CPW]

RAJNEESH DUBE, Jt. Secy.

Note.—The principal rules were published in the Gazette of India *vide* number S.O. 844(E), dated 19th November, 1986; and subsequently amended *vide* S.O. 433(E), dated 18th April, 1987; subsequently Schedule VII published *vide* G.S.R. 176(E), dated 2nd April, 1996; and recently amended *vide* G.S.R. 97(E), dated the 18th February, 2009; G.S.R. 149(E), dated the 4th March, 2009; G.S.R. 512(E), dated the 9th July, 2009; G.S.R. 543(E), dated the 22nd July, 2009; G.S.R. 595(E), dated the 21st August, 2009; G.S.R. 794(E), dated the 4th November, 2009; G.S.R. 826(E), dated the 16th November, 2009; G.S.R. 1(E), dated the 1st January, 2010; G.S.R. 61(E), dated the 5th February, 2010 and G.S.R. 485(E), dated the 9th June, 2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.